



2026:AHC:178142

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 29801 वर्ष 2026

अब्दुल रहमान अंसारी

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्ष

आवेदक की ओर से अधिवक्ता : अमरनाथ त्रिपाठी
विपक्षी पक्ष की ओर से अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 55

माननीय न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान

1. राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि निर्देश प्राप्त हो गए हैं और यदि जमानत आवेदन के गुण-दोष के आधार पर सुनवाई की जाती है, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।
2. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता, राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
3. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया कि आवेदक पुलिस विभाग में उर्दू अनुवादक के पद पर तैनात था और यह आरोप है कि आवेदक ने उसका नाम गुंडा अधिनियम के अंतर्गत दर्ज न किए जाने के लिए 20,000/- रुपये की मांग की। तत्पश्चात, जाल बिछाने वाली टीम गठित की गई। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 के अंतर्गत निर्धारित अधिकतम दंड सात वर्ष है तथा उक्त अपराध का विचारण संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाना है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक 17.07.2026 से कारागार में निरुद्ध है तथा यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण में सहयोग करेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



4. राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, किंतु मामले के तथ्यात्मक स्वरूप से इनकार नहीं किया।
5. राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक के ऐसे किसी तथ्य अथवा परिस्थिति को प्रस्तुत नहीं किया है, जो आवेदक के आपराधिक इतिहास अथवा पूर्ववृत्त को दर्शाता हो और जिसके कारण आवेदक जमानत का अधिकारी न हो।
6. राज्य का यह मामला नहीं है कि आवेदक ने विवेचना अथवा विचारण न्यायालय के समक्ष कार्यवाही में सहयोग नहीं किया है।
7. यह सिद्धांत कि जमानत नियम है और कारागार अपवाद है, उच्चतम न्यायालय द्वारा, विशेष रूप से संविधान के अनुच्छेद 21 की कसौटी पर, भली-भांति मान्य किया गया है। उक्त सिद्धांत को उच्चतम न्यायालय द्वारा **सत्येंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो एवं एक अन्य, 2022 (10) एस.सी.सी. 51** के मामले में पुनः प्रतिपादित किया गया है। राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने ऐसी कोई असाधारण परिस्थिति प्रदर्शित नहीं की है, जो आवेदक को जमानत से वंचित किए जाने को उचित ठहराती हो।
8. राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा ऐसी कोई सामग्री, तथ्य अथवा परिस्थिति प्रदर्शित नहीं की गई है कि अभियुक्त साक्ष्य अथवा साक्षियों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, अथवा अभियुक्त का चरित्र ऐसा है कि उसका खुले में मात्र उपस्थित रहना ही साक्षियों को भयभीत करेगा, अथवा अभियुक्त अपनी स्वतंत्रता का उपयोग न्याय की प्रक्रिया को विफल करने या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने के लिए करेगा।
9. यह विधि का स्थापित सिद्धांत है कि जमानत का उद्देश्य विचारण में अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करना है। राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा ऐसे कोई ठोस तथ्य अथवा परिस्थितियां प्रदर्शित नहीं की गई हैं, जो आवेदक के न्याय से पलायन करने अथवा न्याय की प्रक्रिया को बाधित करने अथवा अपराध की पुनरावृत्ति करने या साक्षियों को भयभीत करने आदि के रूप में अन्य कठिनाइयां उत्पन्न करने की आशंका को दर्शाती हों।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



10. राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने ऐसी कोई सामग्री अथवा परिस्थिति प्रदर्शित नहीं की है कि व्यापक जनहित अथवा राज्य के हित में अभियुक्त/आवेदक जमानत का अधिकारी नहीं है।

11. मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों, अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता, पक्षकारों की ओर से विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों को ध्यान में रखते हुए तथा मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, न्यायालय का मत है कि आवेदक ने जमानत के लिए मामला बनाया है। जमानत आवेदन स्वीकृत किया जाता है।

12. आवेदक- **अब्दुल रहमान अंसारी**, जो मुकदमा अपराध संख्या 10 वर्ष 2026, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 2018 द्वारा संशोधित), थाना भ्रष्टाचार निवारण वाराणसी, जनपद भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत संलिप्त है, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

- i. आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- ii. आवेदक अभियोजन साक्षी पर दबाव नहीं डालेगा/उसे भयभीत नहीं करेगा।
- iii. आवेदक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट प्रदान न की गई हो और/या आवेदक को जब भी आवश्यक हो, पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए स्वयं को उपलब्ध कराएगा।
- iv. आवेदक ऐसे किसी अपराध का कारित नहीं करेगा, जो उस अपराध के समान हो जिसके कारित किए जाने का उस पर आरोप है अथवा जिसके कारित किए जाने का उस पर संदेह है।
- v. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो जाए अथवा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करे।
- vi. आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



vii. यदि आवेदक अपना आवासीय पता परिवर्तित करता है, तो आवेदक संबंधित न्यायालय को नए आवासीय पते की लिखित रूप में सूचना देगा।

13. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की दशा में, अभियोजन को इस न्यायालय के समक्ष जमानत निरस्तीकरण आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

(न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान)

24 अगस्त, 2026

वी.एम.ए

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।